न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 54/2007 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. शंकरलाल पुत्र चन्दन सिंह कौम ब्राहम्ण निवासी कासिमपुर तहसील व जिला धौलपुर।
2. रतन सिंह पुत्र दुलीचन्द कौम लोधा निवासी कासिमपुर तहसील व जिला धौलपुर।
3. बैनीराम पुत्र हरिविलास कौम प्राजापति निवासी कासिमपुर तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. जीवनलाल पुत्र कन्हैया जाति ब्राहम्ण निवासी कासिमपुर तहसील व जिला धौलपुर।
2. विज्जो पुत्र महादेवा जाति गुर्जर निवासी कासिमपुर तहसील व जिला धौलपुर।
3. रामचरन पुत्र पातीराम जाति लोधा निवासी कासिमपुर तहसील व जिला धौलपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी धौलपुर दि0 19.03.2007 प्र.सं. 49/2003 उनवानी शंकरलाल बनाम जीवनलाल।

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह राणा वकील अपीलांट।
2. रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–16.02.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2007 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादीगण ने एक दावा बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि अपीलाण्ट/वादीगण वाद पत्र में अंकित विवादित आराजीयात स्थित ग्राम कासिमपुर तहसील व जिला धौलपुर के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। रैस्पो0/प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। किन्तु रैस्पो0/प्रतिवादीगण चुनावी रंजिश के कारण अपीलाण्ट/वादीगण को नुकसान पहुॅचाने की नीयत से अपीलाण्ट/वादीगण की खातेदारी की आराजी में रास्ता निकालने तथा कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने पर आमदा हैं। जिसका रैस्पो0/प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। अतः वाद दायर कर दावा डिक्री किये जाने एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह अपीलाण्ट/वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें ना ही किसी प्रकार का रास्ता निकालें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा, बाद सनुवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 03 का निर्णय गलत रूप से अपीलाण्ट के विपरीत पारित किया है। तनकी संख्या 03 को साबित करने का भार रैस्पो0 पर था एवं रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। बिना किसी साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 03 का निर्णय रैस्पो0 के पक्ष में पारित करने में कानूनी भूल की गई है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट की ओर से जो दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है उसकी कोई विवेचना अपीलाधीन निर्णय में नहीं की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2007 को अपास्त करते हुए, दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित चार तनकियॉ कायम की गयी है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार हैः—

5. तनकी संख्या 1 की सम्यक विवेचना करने पर हम पाते हैं, इस तनकी के दो हिस्से हैं :—

   i. **अपीलाण्ट/वादीगण, विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं।** जमाबन्दी संवत 2057 से 60 प्रदर्श 2, 3, 4 में अपीलांट/वादीगण के इन्द्राज हैं एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण के द्वारा इसका कोई खण्डन नहीं किया गया है। अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने यह तनकी उचित ही, वहक अपीलाण्ट/वादीगण तय की है। किन्तु इस तनकी का दूसरा हिस्सा निम्नानुसार है :—

   ii. **अपीलाण्ट/वादीगण, विवादित आराजी पर काबिज हैं।** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल राजस्व नक्शा में विवादित आराजी के अन्दर पश्चिमी मैढ के सहारे—सहारे डौटेड लाईन से रास्ता दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त स्वयं अपीलाण्ट/वादीगण ने अपने दावे की मद संख्या 4 में पूर्व से रास्ता होना स्वीकार किया है। अतः विवादित भूमि पर अपीलाण्ट/वादीगण के अनन्य, अखण्डित कब्जे की धारणा क्षीर्ण होती है। इसके अतिरिक्त जमाबन्दी संवत 2057—60 में, विवादित भूमि पर शामिल काश्त अंकित है। अतः विवादित जिस भूमि पर अपीलाण्ट /वादीगण अपना कब्जा बताते हैं, उस भूमि पर जमाबन्दी में अंकित हिस्से अनुपात में अन्य सहकृषकों का भी कब्जा है। परन्तु अन्य सहकृषकों ने कथित रास्ते बाबत् कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है, यह अपीलाण्ट/वादीगण के दावा को निर्बल करता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तनकी पूर्णतः वहक अपीलाण्ट/वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय किये जाना उचित नहीं है। हम तनकी अंशतः वहक एवं अंशतः विरूद्ध अपीलाण्ट/वादीगण तय किया जाना उचित पाते हैं। यह निष्कर्ष अपीलाधीन आदेश को और अधिक पुष्ट करता है।

6. तनकी संख्या 3 विवादित आराजीयात के नक्शा अक्स में रास्ता दर्शाये जाने एवं उक्त रास्ते में ग्राम पंचायत द्वारा सडक डालने बाबत् है। अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी विवेचना में भी हम कोई हस्तक्षेप की गुॅजाईश शेष नहीं पाते हैं। चूंकि अपीलाण्ट /वादीगण स्वयं अपने दावे में विवादित आराजी में, पूर्व से 6 फुट चौडा रास्ता स्वीकार करते हैं। यानि पूर्व से रास्ता कायम है एवं अब रास्ता के निर्माण कार्य को रूकवाया जाता है तो सार्वजनिक लोगो को परेशानी होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही तनकी विरूद्ध अपीलाण्ट/वादीगण तय की है।

7. तनकी संख्या 02, चूंकि तनकी संख्या 01 वहक आंशिक अपीलाण्ट/वादी एवं तनकी संख्या 03 पूर्णतः विरूद्ध अपीलाण्ट/वादी तय की गई हैं। अतः तनकी संख्या 02 भी विरूद्ध अपीलाण्ट/वादीगण तय की जाती है।

8. हम यह भी पाते हैं कि प्रकरण में विवादित आरजी से सम्बन्धित अन्य सहखातेदारों को अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा पक्षकार नहीं जोडा गया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय के प्रश्न पर वक्त बहस अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 1987 पेज 250 का उद्धरण, प्रस्तुत किया, जो वर्तमान प्रसंग में लागू नहीं होता है। प्रस्तुत किया गया उद्धरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 बाबत् है, स्वत्व घोषणा बाबत् नहीं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अन्तर्गत, दावे का अन्तिम निस्तारण नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 211 अन्तर्गत अपीलाण्ट /वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं था। दावा मिस जोइंडर आफ पार्टी के दोष से ग्रसित है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2007 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 16.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official